



भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०४० बिस केस सं०-३१/२०१९-२०

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
21.05.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.06.2019 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>अभिलेख 20.06.2019 को उपस्थापित करें।</p>	
20.06.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 02.07.2019 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>अभिलेख 02.07.2019 को उपस्थापित करें।</p>	 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
02.07.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक- 368, दिनांक- 27.06.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 27.06.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री लोबो राम रवानी, पिता- स्व० शम्भुनाथ रवानी, जाति- कहार (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- दंदासाई वार्ड नं०-०४(नया), पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि चक्रधरपुर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय भूमि मौजा- नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-११, थाना नं०- 68, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 112, प्लॉट नं०- 91(a), 91(b), रकवा क्रमशः-२ डि० 866 वर्गकड़ी, 800 वर्गकड़ी कुल रकवा-३ डि० 666 वर्गकड़ी भूमि क्रेता श्रीमति निर्मला देवी, पति- स्व० सिदम रवानी, ग्राम- दंदासाई वार्ड नं०-०४(नया), जाति- कहार (अ.पि.वर्ग.), पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। बिक्रेता पंजी-II रैयत है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री लोबो राम रवानी, पिता- स्व० शम्भुनाथ रवानी, जाति- कहार (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- दंदासाई वार्ड नं०-०४(नया), पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति कहार (अ.पि.वर्ग.), समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक / आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता श्री लोबो राम रवानी, पिता- स्व० शम्भुनाथ रवानी, जाति- कहार (अ.पि.वर्ग.), ग्राम- दंदासाई वार्ड नं०-०४(नया), पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 6,00,000/- (छ: लाख) रुपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूलक अदा कर चक्रधरपुर नगरपालिका शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय भूमि मौजा-नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं०-११, थाना नं०- 68, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 112, प्लॉट नं०- 91(a), 91(b), रकवा क्रमशः-२ डि० 866 वर्गकड़ी, 800 वर्गकड़ी कुल रकवा-३ डि० 666 वर्गकड़ी भूमि उक्त बिक्रेता एवं क्रेता को आवेदित भूमि क्रय बिक्रय की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p>	 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।